कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2025/ 586 लखनऊ:दिनांक 10 मार्च, 2025

यू0पी0 नीट पी0जी0–2024 (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0) के अन्तर्गत स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की ऑन लाईन कांउसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश

1. स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होगे, जिन्हे यू0पी0 नीट पी0जी0 2024 के किसी भी चक्र की कांउसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
2. स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट पी0जी0–2024 की ऑल इण्डिया काउंसिलिंग के किसी भी चक्र के माध्मय से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नही होगें।
3. **स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट पी0जी0–2024 की अन्य राज्य की काउंसिलिंग के किसी भी चक्र के माध्मय से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नही होगें।**
4. **आल इण्डिया की स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को यू0पी0 नीट पी0जी0 2024 की स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की आवंटन प्रकिया में सम्मिलित नही किया जायेगा।**
5. यू0पी0 नीट पी0जी0 2024 हेतु पंजीकृत ऐसे अर्ह अभ्यर्थी, जिनका पंजीकरण शुल्क एवं धरोहर धनराशि किन्ही कारणों जमा नही हो सकी है, वह स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु जारी समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/– एवं धरोहर धनराशि जमा करते हुए स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है। **(निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम की सीट हेतु धरोहर धनराशि रू0 2,00,000/– एवं राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0 सीटों हेतु धरोहर धनराशि रू0 30,000/–)**
6. प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र एवं स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की कांउसिलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हे स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नही होगी।
7. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि च्वाइस फिलिंग से पूर्व संबंधित कालेज के बारें में सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाइस लॉक करें।
8. अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर आनलाइन Choice Fill की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। आनलाइन च्वाईस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नही है।
9. **आनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाइस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आंवटन की प्रकिया में सम्मिलित नही किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**
10. **अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस लॉक करने के उपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव अथवा परिवर्तन नही हो सकेगा और न ही इस संबंध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जायेगा।**
11. स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग से अनावंटित (Unallotted)/अप्रवेशित (Not Admitted) एवं त्याग–पत्र (Resign) सीटें Clear-cut Vacancy के तौर पर प्रदर्शित होगीं।
12. स्पशेल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों को Seat Against Cancellation (SAC) का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। SAC सीटें एक प्रकार की Virtual Vacancies है, जिसके अर्न्तगत च्वाईस–फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के रिक्त सीटों के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। आवंटन प्रकिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटों को शासनादेश संख्याः I/687326/2024, दिनांक 09.07.2024 में निहित तालिकानुसार आमेलित (Merge) करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
13. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय/चिकित्सालय स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।
14. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टरो पर सम्पन्न करायी जायेगी।
15. आवंटित अभ्यर्थी को संबंधित मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रवेश प्रकिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

16. **यदि कोई अभ्यर्थी स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0पी0 नीट पी0जी0 कांउसिलिंग 2025–26 के लिये प्रतिबंधित (Debar) कर दिया जायेगा।**
17. स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवंटित मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नही किया जायेगा।
18. निजी क्षेत्र के कालेजो मे आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थी से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, लिया जायेगा। यदि निजी क्षेत्र के कालेज प्रबन्धन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शिक्षण शुल्क लिया जाता है, तो उसके लिये स्वतंत्र है। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण–शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट dgme.up.gov.in एवं upneet.gov.in पर उपलब्ध है।
19. **निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों के शुल्क निर्धारण संबंधी शासन की विज्ञप्ति दिनांक 28.10.2024 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या–सी–10329/2024 जी0एस0 मेडिकल कालेज कालेज एण्ड हास्पिटल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अन्य सहबद्ध योजित याचिकाओं में मा0 न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 10.01. 2025 के अनुकम में शुल्क का निर्धारण शासन स्तर पर गठित फीस नियमन समिति के अन्तिम आदेशों के अधीन होगा।**
20. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।
21. स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्उ से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा नोडल सेन्टर पर प्रवेश लेने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में रिपोर्ट किया जाना अनिवार्य होगा।
22. नीट पी0जी0 2024 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 09 जुलाई 2024 एवं ब्रोशर में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड कांउसिलिंग प्रकिया सम्पन्न करायी जायेगी। अतएव कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने से पूर्व शासनादेश एवं ब्रोशर का स्वयं अवलोकन करें।
23. नीट पी0जी0–2024 कांउसिलिंग संबंधी समस्त अद्यतन सूचनाओं के संबंध में ***https://upneet.gov.in*** एवं ***www.dgme.up.gov.in*** पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक